नागरिक अधिकार पत्र
राजस्व विभाग

पटवार मण्डल
पटवारी के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार

1. राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना

भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली के नियम 28 के अन्तर्गत प्रत्येक रुचि रखने वाला व्यक्ति पटवारी के अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है व पेंसिल नोट उतार सकता है। काश्तकार द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क पटवारी के पास जमाकराकर राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की जा सकती है।

नाम अभिलेख	परिमाप	एल.आर. नियम 28 के अनुसार शुल्क व निर्धारित अवधि		विशेष
		निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	
1. जमाबंदी चौसाला (पी–26)	10 ख.नं. तक प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रु. 5.00 रु.	3 दिन	1. काश्तकार द्वारा नकल हेतु आवेदन करने पर उसे रसीद दी जाए। 2. नक्शा–ट्रेस राज्य सरकारद्वारा पटवारी को उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. खसरा चौसाला (पी–13)	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रु.	3 दिन	
3. नक्शा ट्रेस	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	20.00 रु.	3 दिन	
4. खसरा परिवर्तनशील (पी–14)	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रु.	3 दिन	
5. नामांतरकरण (पी–21)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रु.	3 दिन	
6. ढाल–बांछ (पी–30) सियाहा (पी–32) जमाबंदी परिवर्तनशील (पी–25)	प्रत्येक 10 प्रविष्टियों या उसके भाग के लिए	10.00 रु.	3 दिन	
7. प्रति दिन की डयरी	किसी भी एक दिन में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए	20.00 रु.	3 दिन	
8. अर्ज ईरसाल (पी–34) रसीद (पी–33)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रु.	3 दिन	

2. नामान्तरण

भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली 1957 के नियम 131 के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार नामान्तरकरण खुलवाने हेतु संबंधित पटवारी/ग्राम पंचायत/तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन किया जा सकता है।

पटवार स्तर पर कार्यवाही	*पंचायत/तहसीलदार/ उपपंजीयक स्तर पर कार्यवाही*	*निर्धारित अवधि*	*निर्धारित शुल्क*
पटवारी आवेदन प्राप्त होने पर उसे पी–21 रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा नामान्तरण की भू.अ. निरीक्षक से जांच करवाकर पंचायत/राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।		7 दिवस 10 दिवस	1. उत्तराधिकार संबंधी नामांतरकरण हेतु 2. विक्रय/दान/भेंट 3. अन्य (10.00 प्रति खाता)
	पंचायत को नामान्तरण प्राप्त होने पर बैठक में निर्णय पारित करेगी	45 दिवस	
	निश्चित अवधि में पंचायत द्वाराकार्यवाही नहीं करने पर इसपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारानिर्णय पारित किया जाएगा	30 दिवस	
	भू.रा. (भू.अ.) नियमावली के नियम 141 के अनुसार पंजीयक/उप–पंजीयक से तहसीलदार प्रत्येक माह खेती की भूमि के समस्त हस्तांतरणों के संबंध में पंजीकृत दस्तावेजों की एक प्रति मय विवरण के प्राप्त करेगा तथा तत्काल सम्बन्धित पटवारियों में वितरित किये जाने के लिए सम्बन्धित भू.अ.नि. को भेजेगा। भू.अ.नि.गण सम्बन्धित पटवारियों में इसका वितरण 3 दिन में अनिवार्य रूप से करेंगे। इसकी समीक्षा पटवारियों की आगामी मासिक बैठक में की जायेगी।	10 दिवस	

3. कृषि जोत पास–बूक

उद्देश्य : काश्तकारों को अपनी जोत की पूर्ण जानकारी, बैंक ऋण प्राप्ति की सुविधा, भूमि क्रय–विक्रय के पंजीयन आदि कार्य के लिए, राज. पास–बुक (कृषि जोत) अधिनियम 1983 व संशोधित अधिनियम, 1994 के अनुसार विधिक (अधिकार अभिलेख) अभिलेख है। काश्तकार राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किएगए निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर पास बुक प्राप्त कर सकता है।

काश्तकार को पास बुक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से शुल्क जमा कराना होगा		*पटवारी द्वारा पास–बूक जारी करने की अवधि*	*विशेष*
अजा/अजजा के कृष्कों द्वारा	5.00 रु.	3 दिवस	राज. पास–बुक कृषि जोत अधिनियम 1983 के अध्याय–2 की धारा–4 के अनुसरण में राज्य में भूमि धारण करने वाला प्रत्येक कृषक अपने द्वारा धारित याऐसी भूमि जिसके कि सम्बन्ध में उसका हित है, को पास–बुक उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात् सह खातेदारों को भी पास बुक उपलब्ध कराई जायेगी।
अन्य कृषक	10.00 रु.	3 दिवस	
डुप्लीकेट पास–बुक	15.00 रु.	3 दिवस	

4. सीमा ज्ञान

खेत की सीमा ज्ञान/सर्वेक्षण करवाने के लिएकोई भी खातेदार/गैर खातेदार अपना आवेदन पत्र पटवारी को निर्धारित शुल्क के साथ दे सकता है।

कार्य	*क्षेत्रफल*	*शुल्क*	*निर्धारित अवधि*	*विशेष*
खेतों का सीमांकन/ सर्वेक्षण कर सीमा चिन्ह लगवाएगा (भू.अ. नियम 34 के अनुसार)	5 एकड़ तक 6 से 10 एकड़ तक 10 एकड़ से अधिक	50.00 रु. 100.00 रु. 200.00 रु.	सीमा ज्ञान के लिए कोई भी खातेदार या गैर खातेदार अपने खेत का सर्वेक्षण करवाने हेतु आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ पटवारी को भी दे सकेगा। पटवारी आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर अभिधारी को रसीद देगा पटवारी आवेदन–पत्र को पृथक रजिस्टर में दर्ज कर 3 दिवस में सर्किल ऑफिसर/तहसीलदार से आदेश प्राप्त करेगा। यदि खेत अंतर ग्रामीण सीमा पर है तो प्रार्थना–पत्र संबंधित भू.अ.नि. को तत्काल भिजवा देगा तथा संबंधित भू.अ.नि. अभिधारी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड पंच के समक्ष सीमाज्ञान सामान्यतः 7 दिन में और अधिकतक 15 दिन में करवाकर संबंधित सर्किल ऑफिसर/तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा। यदि खेत अंतर ग्रामीण सीमा पर नहीं है तो संबंधित पटवारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेगा।	1. आवेदन पटवारी को भी किया जा सकता है। 2. सीमा ज्ञान के समय सरपंच/ वार्ड–पंच उपस्थित रहेंगे।

नोट :– यदि फिर भी सीमा ज्ञान के मामले बकाया रह जाते है तो संबंधित भू.अ.नि./ पटवारी माह मई/जून में इन्हें अभियान के तौर पर निपटायेंगे तथा इसके बाद उनके पास सीमाज्ञान का कोई मामलानिस्तारण से शेष नहीं रहना चाहिए।

5. विभिन्न प्रमाण–पत्र

पटवार मण्डल स्तर पर मूल निवास/जाति प्रमाण–पत्र व अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन तहसील स्तर पर किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	*पटवारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही*	*निर्धारित अवधि*	*निर्धारित शुल्क*
1.	**जाति प्रमाण पत्र :** तहसील से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर आवश्यक जॉच कर रिपोर्ट करना।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस आवेदन–पत्र पर
2.	**मूल निवास प्रमाण–पत्र :** उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर रिपोर्ट संबंधित को भेजेगा।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस आवेदन–पत्र पर
3.	**हैसियत प्रमाण–पत्र :** तहसीलदार से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर जॉच करके तहसील में रिपोर्ट भेजेगा।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस आवेदन–पत्र पर

6. गिरदावरी/वसूली

पटवारी जब गिरदावरी/वसूली के लिए हल्के में जाए तो इसकी सूचना पटवारघरों/पंचायत भवन के सूचना पट्ट पर अंकित करेगा। दोनों कार्यो के लिए ग्राम विशेष में निश्चित समय व्यतीत करेगा।

क्र.सं.	*कार्य*	*प्रारंभ करने की तिथि*	*समाप्त करने की तिथि*
	(अ)गिरदावरी		
1.	खरीफ	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
2.	रबी	1 फरवरी	5 मार्च
3.	जायद	1 मई	15 मई
	(ब) वसूली	1 मई तथा वर्ष भर	

शिकायत कहॉ की जाए –
पटवारी द्वाराकार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं करने पर इसकी शिकायत संबंधित तहसीलदारको की जानी चाहिए। तहसीलदार प्राप्त शिकायतों को दर्ज रजिस्टर कर इनका 15 दिवस में निस्तारण कर संबंधित शिकायतकर्ता को सूचित करेगा एवं आवश्यक होने पर पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ करेगा।

तहसील कार्यालय

तहसीलदारों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार

1. राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना

काश्तकार द्वारा एल.आर. नियम 28 के अनुसार तहसील में निर्धारित शुल्क जमा कराकर राजस्व अभिलेखों की नकल निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है।

नाम अभिलेख	परिमाप	एल.आर. नियम 28 के अनुसार शुल्क व निर्धारित अवधि		विशेष
		निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	
1. जमाबंदी चौसाला (पी–26)	10 ख.नं. तक प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रू. 5.00 रु.	3 दिन	1. नक्शा ट्रेस राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. खसरा चौसाला (पी–13)	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रु.	3 दिन	
3. नक्शा ट्रेस	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	20.00 रु.	3 दिन	
4. खसरा परिवर्तनशील (पी–14)	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रु.	3 दिन	
5. नामांतरकरण (पी–21)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रु.	3 दिन	
6.ढाल–बांछ (पी–30) सियाहा (पी–32) जमाबंदी परिवर्तनशील (पी–25)	प्रत्येक 10 प्रविष्टियों या उसके भाग के लिए	10.00 रु.	3 दिन	
7. प्रति दिन की डयरी	किसी भी एक दिन में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए	20.00 रु.	3 दिन	
8. अर्ज ईरसाल (पी–34) रसीद (पी–33)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रु.	3 दिन	

2. रास्तों में विवाद

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत रास्तों के वादों के निस्तारण हेतु संबंधित काश्तकार द्वारा तहसीलदार को आवेदन करना होगा। इन प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

क्र.सं.	*कार्य*	*अवधि*	*निर्धारित शुल्क*
1.	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार इसे रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा संबंधित पंचायत को निस्तारण हेतु भेजेगा।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस प्रार्थना पत्र पर लगेगी।
2.	पंचायत, तहसील से प्राप्त आवेदन–पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करेगी तथा इसका निस्तारण करेगी।	45 दिवस	
3.	पंचायत द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करने पर इसका निस्तारण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।	30 दिवस	

3. सीमा ज्ञान

काश्तकार अपने खेत का सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु एल.आर. नियम 34 के अनुसार तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार को आवेदन करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कार्य	*निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि*		*शुल्क*		*विशेष*
	स्तर	*समय*	*क्षेत्रफल*	*शुल्क*	
एल.आर. नियम 34 के अनुसार काश्तकार अपने खेत के सीमांकन हेतु संबंधित तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। तहसीलदार संबंधित पटवारी को सीमा ज्ञान करवाने हेतु आदेश देगा।	1. तहसील स्तर पर कार्यवाही कर पटवारी को आदेश देना। 2. पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करवाकर रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करना।	उसी दिन सामान्यताया 7 दिवस अधिकतक 15 दिन	5 एकड़ तक 6 से 10 एकड तक 10 एकड से अधिक	50.00 रु. 100.00 रु. 200.00 रु.	1. सीमा ज्ञान के आवेदन तहसील में वर्षभर प्राप्त किए जा सकते हैं। 2. सीमा ज्ञान हेतु आवेदन पटवारी को भी दिया जा सकता है।

नोट :– यदि फिर भी सीमा ज्ञान के मामले बकाया रह जाते है तो सम्बन्धित भू.अ.नि./पटवारी माह मई/जून में अभियान के तौर पर निपटायेंगे तथा इसके बाद उनके पास सीमा–ज्ञान का कोई मामला निस्तारण से शेष नहीं रहना चाहिए।

4. नामान्तरकरण

भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अनुसार आवंटन के पश्चातवर्ती या न्यायालय के आदेश की अनुपालना के क्रम में आवेदन करने पर निस्तारण राजस्व अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा।

कार्य	*कुल समयावधि*	*शुल्क*
एल.आर. एक्ट की धारा 135(2) के अनुसार आवंटन के पश्चावर्ती या न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के सम्बन्ध में नामान्तरण खोलने हेतु तहसीलदार को	आदेश प्राप्त होने के दिन से एक सप्ताह	10.00 रु. प्रति खाता
आवेदन करना होगा। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण खोलकर व	10 दिन	
निरीक्षक द्वारा जांच करवाकर इसे निर्णीत करवाने हेतु तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा।	20 दिन	
कुल समयावधि	**30 दिन**	

5. जोत विभाजन

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार सह–खातेदार आपसी सहमति से अपनी जोतों के विभाजन हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इसका निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाएगा।

कार्य	*निस्तारण अवधि*	*शुल्क*
सह–खातेदार अपनी जोत के विभाजन के लिए सह–खातेदारों के बीच हुए करार को तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। करार के अनुसार तहसीलदारको जोत का विभाजन करना होगा।	1 माह (प्रस्तुत करने के दिन से)	2.00 रूपये कोर्ट फीस

6. वृक्षों की कटाई

स्वयं काश्तकार के उपयोग में लाने हेतु अपने खेतों से हरे वृक्ष उन्हें काटने की अनुमति सम्बन्धित तहसीलदारको आवेदन देकर लेनी चाहिए। इसके साथ–साथ काश्तकार को प्रत्येक हटाए गए वृक्ष की एवज में दो वृक्ष लगाना अनिवार्य है।

कार्य	*शुल्क*	*निर्धारित अवधि*
देशी बबूल, विलायती बबूल, सूबबूल आदि वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता तो नहीं है परन्तु ऐसे मामलों में 15 वृक्ष हटाने की अनुमति हेतु तहसीलदार को आवेदन करना होगा।	अनुज्ञा के लिए प्रति वृक्ष 10.00 रूपये या प्रति एकड़ 10.00 रू. दोनों में जो भी अधिक हो जमा कराना होगा।	उसी दिन (एक सप्ताह अधिकतम)

7. शुद्धि–पत्र

खातेदार/गैर खातेदार जिसके खाते में लिपिकीय भूल से अशुद्धि हो गई है वह भू.अ. नियमावली 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत साधारण कागज पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है।

कार्य	*टावेदन किस प्रकार किया जाए*	*निस्तारण अवधि*	*शुल्क*
एल.आर. नियम 166 के अनुसार खाते में लिपिकीय भूल शुद्ध करवाना।	टावेदन साधारण कागज पर मय जमाबंदी की नकल जिसमें खाता शुद्ध करवाना है, के साथ किया जाए। आवेदक अपना पूर्ण पता भी लिखें।	ना. तह./ तहसीलदार द्वारा इसका 1 माह में निस्तारण किया जाकर खाते में शुद्धि की जाएगी।	नियमानुसार 2.00 रू. कोर्ट फीस

8. गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना (नोन–कमाण्ड क्षेत्र)

प्रत्येक गैर खातेदार जिसको भूमि आवंटन हुए 3 वर्ष हो गए हों तथा आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गई है तो वह साधारण कागज पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है।

कार्य	*टावेदन किस प्रकार किया जाए*	*निस्तारण अवधि*	*शुल्क*
प्रत्येक गैर खातेदार भूमि आवंटन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदनकर सकता है।	टावेदन साधारण कागज पर मय ख.नं., नाम ग्राम व आवंटनपट्टे की छायाप्रति संलग्न कर करेगा। आवेदन पत्र में यह अपना नाम व पता लिखे।	1 माह	2.00 रू. कोर्ट फीस

9. बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करने हेतु अदेय
प्रमाण–पत्र जारी करना

कोई भी काश्तकार यदि ऋणदात्रि संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो इन संस्थाओं की मांग के अनुसार अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य	*आवेदन किस प्रकार किया जाए*	*निस्तारण अवधि*
कोई भी काश्तकार बैंको आदि से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए अदेय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।	आवेदन साधारण कागज पर मय जमाबंदी की नकल व पटवारी की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।	तहसील में अभिलेख की जांच कर उसी दिन प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

10. भूमि रूपान्तरण

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कराने हेतु तहसीलदार को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

कार्य	*आवेदन करना*	*ग्राम की आबादी के अनुसार रूपान्तरण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल/शुल्क व समय*			
		ग्राम की आबादी	*क्षेत्रफल*	*शुल्क*	*समयावधि*
(अ) आवासीय कार्य हेतु भूमि का रूपान्तरण	सम्बन्धित तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करनाहोगा।	5,000 से कम	500 वर्ग मीटर तक 2000 वर्ग मीटर तक	निःशुल्क 1.00 रू. प्रति व.मी. तथा इससे अधिक पर 2.00 रू. प्रति व.मी.	30 दिन 30 दिन
		5,000 से अधिक	500 वर्ग मीटर तक 2000 वर्ग मीटर तक	निःशुल्क 2.00 रू. प्रति व.मी. तथा इससे अधिक पर 4.00 रू. प्रति व.मी.	30 दिन 30 दिन
(ब) औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का रूपान्तरण	सम्बन्धित तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करनाहोगा।		1000 वर्ग मीटर तक	1.00 रू. प्रति वर्ग मीटर	30 दिन

11. विभिन्न प्रमाण पत्र

वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन, जाति प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उक्त प्रमाण पत्र निम्न प्रकार से जारी किए जायेंगे।

प्रमाण पत्र का नाम	*टावेदन पत्र प्रस्तुत करना*	*निर्धारित शुल्क*	*निर्धारित अवधि*
1. वृद्धावस्था/ विधवा व विकलांक पेंशन हेतु	पात्र व्यक्ति पंचायत/ पटवारी/तहसील में मय फोटो के आवेदन कर सकता है। पटवारी हल्का अपनी जांच के साथ रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को सौंपेगा।	निःशुल्क	15 दिवस
2. जाति प्रमाण पत्र	इस हेतु आवेदन तहसील कार्यालय में अथवा सीधे ही आवेदन पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट करवाकर आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।	2.00 रू. (कोर्ट फीस)	1. पटवारी 3 दिन में जांच कर आवेदन पत्र तहसीलदार को भेजेगा। 2. तहसीलदार ऐसे आवेदन पत्रों पर उसी दिन प्रमाण–पत्र जारी करेंगे। 3. तहसील में आवेदन प्राप्त होने पर 7 दिन में आवश्यक रूप से प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र	उप खण्ड अधिकारी या सीधे ही तहसीलदारको आवेदन करने पर उसकी जांच हेतु संबंधित पटवारी को भेजा जाएगा। पटवारी से रिपोर्ट आने पर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा एस.डी. ओ. भेजा जाएगा।	2.00 रू. (कोर्ट फीस)	7 दिवस
4. हैसियत प्रमाण पत्र	टावेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार इस सन्दर्भ में आवश्यक जांच करवाकर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।	2.00 रू. (कोर्ट फीस)	5 दिवस

शिकायत कहां की जाए–

तहसील स्तर से उपरोक्त कार्य निर्धारित समय–सीमा में सम्पादित नहीं होने पर उप खण्ड अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। उप–खण्ड अधिकारी प्राप्त शिकायत को दर्ज रजिस्टर कर इनका निस्तारण 15 दिवस में करेगा तथा संबंधित शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करेगा। आवश्यक होने पर तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

जिला कलेक्टर कार्यालय

जिला कलेक्ट्रेट स्तर की कार्यवाही एवं नागरिकों के अधिकार

1. राजकीय/सार्वजनिक कार्यों हेतु सेट–अपार्ट करने एवं विधि राजस्व नियमों के तहत भूमि आवंटन एवं संपरिवर्तन

(i) गौशाला हेतु भूमि का आवंटन नियम, 1957

क्रसं.	*कार्य एवं प्रकिया*	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क/निःशुल्क*	*समयावधि*
1.	आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बंधित तहसीलदार से मार्फत उपखण्ड अधिकारी के टिप्पणी प्राप्त की जाती है। टिप्पणी अनुकूल होने पर स्वीकृति हेतु सम्भागीय आयुक्त को प्रेषित की जाती है। बाद स्वीकृति नियमानुसार आवंटन आदेश जारी किया जाता है।	प्रति मवेशी एक बीघा अधिकतक 500 बीघा तक	(क) वर्तमान भू प्रबंध में निर्धारित लगान का एक चौथाई, यदि आवेदित भूमि का लगान निर्धारित हो चुका है, अथवा (ख) प्रत्येक 25 बीघा या कम के लिए एक हजार रूपया प्रति वर्ष यदि भूमि का लगान निर्धारित नहीं हुआ हो।	जिला कार्यालय 2 दिन तहसील कार्यालय 15 दिन उपखण्ड कार्यालय 7 दिन जिला कार्यालय 5 दिन संभागीय आयुक्त 15 दिन बाद स्वीकृति जिला कार्यालय 3 दिन (कुल 47 दिन)

(ii) राजकीय/सार्वजनिक कार्यों हेतु सेट–अपार्ट अन्तर्गत धारा 92, राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

क्रसं.	*कार्य एवं प्रकिया*	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क/निःशुल्क*	*समयावधि*
1.	संबंधित तहसीलदार के पास प्रस्ताव प्राप्त होने पर वे अपनी टिप्पणी के साथ उपखण्ड अधिकारी के मार्फत जिला कार्यालय को भिजवाते हैंएवं भूमि सेट–अर्पाट किए जाने के आदेश जारी किय जाते है।	कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। आवश्यकतानुसार सेट–अपार्ट का प्रावधान है।	निःशुल्क	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला कार्यालय 5 दिन

(iii) राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992

कसं.	*कार्य एवं प्रकिया*	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क / निःशुल्क*	*समयावधि*
1.	**औद्योगिक प्रयोजनार्थः** आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, जांच एवं टिप्पणी हेतु संबंधित तहसीलदारको मार्फत उपखण्ड अधिकारी भेजा जाता है। टिप्पणी अनुकूल पायी जाने पर संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाता है।	20 हैक्टर तक	1.00 रू. प्रति वर्ग मीटर	30 दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
2.	**वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ :** आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांच एवं टिप्पणी हेतु संबंधित तहसीलदार को मार्फत उपखण्ड अधिकारी भेजा जाता है। टिप्पणी अनुकूल पायी जाने पर संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाता है।	उल्लेखित नहीं है।	5,000 जनसंख्या वाले ग्राम के लिए। 200 वर्ग मी. तक 4 रू. प्रति वर्ग मी.। 200 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र के लिए 8 रू. प्रति वर्ग मी.। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम के लिए 200 वर्ग मी. तक 8.00 रू. प्रति वर्ग मी.। 200 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र के लिए 16.00 रू. प्रति वर्ग मी.।	30 दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	**आवासीय प्रयोजनार्थ :** आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांच एवं टिप्पणी हेतु संबंधित तहसीलदार को मार्फत उपखण्ड अधिकारी भेजा जाता है। टिप्पणी अनुकूल पायी जाने पर संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाता है।	4000 वर्ग मीटर से अधिक	5,000 जनसंख्या वाले ग्राम के लिए। 2000 वर्ग मी. तक 1.00 रू. प्रति वर्ग मी., 2000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र के लिए 2 रू. प्रति वर्ग मी.। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम के लिए 2000 वर्ग मी. तक 2. 00 रू. प्रति वर्ग मी.। 2000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र के लिए 4.00 रू. प्रति वर्ग मी.	30 दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।

(iv) आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन/आरक्षण (राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार)

क्रसं.	कार्य एवं प्रकिया	निर्धारित मापदण्ड	स्शुल्क/ निःशुल्क	समयावधि
1.	तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के मार्फत प्रस्ताव भिजवाने पर टिप्पणी अनुकूल व नियमानुसार होने पर चरागाह को बिलानाम कर आबादी विस्तार हेतु आवंटन व पूर्ति हेतु बिलानाम को चारागाह में परिवर्तन बाबत आदेश जारी किया जाता है।	**जनसंख्या अनुसार** 700 से कम 20 एकड 700 से 1200 तक 40 एकड 1201 से 1700 तक 60 एकड 1701 से 2200 तक 80 एकड 2201 से अधिक और प्रत्येक 1000 आबादी के लिए 40 एकड	निःशुल्क	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला कार्यालय 7 दिन
2.	तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के मार्फत प्रस्ताव भिजवाने पर टिप्पणी अनुकूल व नियमानुसार होने पर कमांड क्षेत्र में स्थित होने पर नियमानुसार आवंटन एवं आरक्षण काआदेश जारी किया जाता है।	**जनसंख्या अनुसार** 700 से कम 20 एकड 700 से 1200 तक 40 एकड 1201 से 1700 तक 60 एकड 1701 से 2200 तक 80 एकड 2201 से अधिक और प्रत्येक 1000 आबादी के लिए 40 एकड	भूमि का आरक्षित मूल्य जमा होने पर	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला कार्यालय 7 दिन

(v) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1987
ईट भट्टों के लिये आवंटन एवं संपरिवर्तन

कार्य एवं प्रकिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/ निःशुल्क	समयावधि
आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार से मार्फत उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की जाती है। अनुकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर 5 वर्ष के लिये भूमि लीज पर आवंटन की जाती है। शर्तो की पालना पूर्ण होने पर एक बार में 5 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया जाता है।	10 एकड तक भूमि का आवंटन किया जा सकता है।	लीज रेन्ट 1500/– प्रति वर्ष प्रति एकड (बिलानाम भूमि) लिया जाता है। खातेदारी भूमि का 500/– रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड की दर से लिया जाता है। प्रत्येक बार नवीनीकरण पर लीज रेन्ट में 25 प्रतिशत की बढौतरी की जाती है।	जिला कार्यालय 2 दिवस तहसील 15 दिवस उपखण्ड 7 दिवस बाद रिपोर्ट जिला कार्यालय 7 दिवस

(vi) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1978
सिनेमा तथा पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन परिवर्तन तथा नियमन

कार्य एवं प्रक्रिया	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क / निःशुल्क*	*समयावधि*
आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार से मार्फत उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की जाती है। अनुकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर नगर नियोजक से राय प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात् नियमानुसार 20 वर्ष के लिए भूमि लीज होल्ड राइटस पर आवंटित की जाती है। आगे 20 वर्ष के लिये नवीनीकरण का प्रावधान है।	नियमों के अन्तर्गत कोई सीमाका निर्धारण नहीं है।	400 वर्ग गज के मानक आधार के, भू–खण्ड का लीज रेन्ट प्र.व.ग. 1,2,3 के श्रेणी के कस्बा के लिए क्रमशः 2500, 12500, 600 रू. प्रति माह सिनेमा घरों के लिये जाता है। 1200 वर्गगज के मानक आधार के भूखण्ड का लीज रेण्ट प्र.व.ग. 1,2,3 के श्रेणी के कस्बा के लिए क्रमशः 500, 300, 200 प्रतिमाह पैट्रोल पम्प के लिये लिया जाता है। बिलानाम भूमि की कीमत भी ली जाती है।	नियमानुसार तहसील, उप–खण्ड एवं जिला कार्यालय के लिये 30 दिन व नगर नियोजक के लिए 30 दिन का प्रावधान है।

(vii) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1959
औद्योगिक क्षेत्र आवंटन

कार्य एवं प्रक्रिया	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क / निःशुल्क*	*समयावधि*
जिला कलेक्टर (राजस्व) द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सेट–अपार्ट करने के पश्चात् उक्त नियमों के अंतर्गत आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है। बाद जांच जिला कलेक्टर (उद्योग) द्वारा भूमि का आवंटन 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड राइट्स पर किया जाता है।	नियमों के अन्तर्गत भूमि आवंटन के संबंध में सीमा निर्धारित नहीं है।	आवंटित भूमि की कीमत ली जाती है और 3 लाख की जनसंख्या व अधिक वाले टाउन के लिए 250रू. प्र. एकड प्र. वर्ष की दर से एवं 10 हजार से अधिक लेकर 3 लाख से कम की जनसंख्या वाले टाउन में 150 रू. प्रति वर्ष प्र. एकड की दर से तथा 10 हजार से कम की जनसंख्या वाले नगर के लिए 75 रू. प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से लिया जाता है।	30 दिन

(viii) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजस्थान कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963

क्रसं.	*कार्य एवं प्रकिया*	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क/ निःशुल्क*	*समयावधि*
1.	आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार से मार्फत उपखण्ड अधिकारी प्रस्ताव मांगे जाते हैं और प्रस्ताव अनुकूल होने पर आवंटन आदेश जारी किये जाते है। आवंटन 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड राईट्स पर किया जाता है। निर्धारित मापदण्ड से 25 प्रतिशत तक संभागीय आयुक्त एवं 25 प्रतिशत से अधिक होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। वर्जित भूमियों के आवंटन से पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।	प्राथमिक विद्यालय 2 एकड माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीएसटीसी, डिग्री एवं स्नातकोत्तर 10 एकड मिडिल स्कूल 5 एकड महाविद्यालय 30 एकड केन्द्रीय विद्यालय 15 एकड नवोदय विद्यालय 30 एकड होस्टल 2 एकड पंचायत घर 5/16 एकड धर्मशाला एवं मुसाफिरखाना 1/2 एकड औषधालय 1 एकड़ प्रा.स्वा. केन्द्र 2 एकड सरकारी कार्या. भवन 2 एकड मंदिर गुरूद्वारे 2000 वर्ग गज लोकोपयोगी अन्य भवन 5/16 एकड	सरकारी विभाग या संस्थान या स्थानीय निकाय प्राधिकरण, बोर्ड को आवंटन निःशुल्क होगा। गैर सरकारी संस्थान को आवंटन शहरी क्षेत्र में प्रचलित बाजारदर का 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के 50 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम राशि जमा कराने पर आवंटन किया जाएगा।	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला 7 दिन

(2) मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र

क्रसं.	*कार्य एवं प्रकिया*	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क/ निःशुल्क*	*समयावधि*
1.	इस हेतु शहरी क्षेत्र के लिए सिटी मजिस्ट्रेट एवं अन्य ग्रामों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी अधिकृत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आयुक्त नगर परिषद, तहसीलदार की रिपोर्ट एवं शपथ पत्र लेकर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।	इस हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।	निःशुल्क	3 दिवस में

(3) आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण (आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत)

क्रसं.	*कार्य एवं प्रकिया*	*निर्धारित मापदण्ड*	*सशुल्क/ निःशुल्क*	*समयावधि*
1.	कारतूसी शस्त्रों एवं टोपीदार बंदूकों के जिला/राज्य क्षेत्र के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एवं टोपीदार बंदूक के तहसीलदार द्वारा 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण किए जाते हैं। आवेदन प्रस्तुत होने पर शस्त्र अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा कर नवीनीकरण कियाजाता है।	इस हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।	रिवाल्वर/पिस्टल 50/– रू. प्रति वर्ष राईफल 30/– रू. प्रति वर्ष बारह बोर बंदूक 20/– रू. प्रति वर्ष टोपीदार बंदूक 5/– रू. प्रति वर्ष	3 दिवस में

(4) जिला अभिलेखालय से प्रतिलिपि प्राप्त करने का शुल्क एवं अवधि

क्र.सं.	रेकार्ड का प्रकार	*शुल्क (रूपये में)*		*अवधि*		*विशेष*
		साधारण	*आवश्यक*	*साधारण*	*आवश्यक*	
1.	भू–प्रबंध जमाबंदी प्रति खाता	13.00	26.00	7 दिवस	24 घंटे	
2.	नक्शा ट्रेस प्रति 100 नंबर तक	7.00	14.00	7 दिवस	24 घंटे	ट्रेस पेपर आवेदक को लाना होगा।
3.	पर्चा खतौनी	8.00	16.00	7 दिवस	24 घंटे	
4.	नामान्तरण	13.00	26.00	7 दिवस	24 घंटे	
5.	फर्द मिलान क्षेत्रफल	13.00	26.00	7 दिवस	24 घंटे	
6.	खसराप्रत्येक 100 नंबर तक	13.00	26.00	7 दिवस	24 घंटे	
7.	तहसील की जमाबंदी प्रति खाता 10 नंबर तक	2.00	4.00	10 दिवस	24 घंटे	
8.	पत्रावली प्रति पृष्ठ 400 शब्दों तक	1.00	2.00	7 दिवस	24 घंटे	

शिकायत कहॉ की जाए–

जिला कलेक्टर कार्यालय परउपरोक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर स्वयं को करनी चाहिए। जिला कलेक्टर शिकायत दर्ज रजिस्टरकरवाकर 7 दिवस में जॉच कर इसकी सूचना शिकायतकर्ता को देगें। कार्य फिर भी नहीं होने पर संभागीय आयुक्त को शिकायत की जा सकती है। संभाग स्तरपरशिकायत दर्ज कर इसकानिस्तारण 1 माह में किया जाना अनिवार्य होगा।

नागरिक अधिकार पत्र (राजस्व विभाग)
आवश्यक सूचना

राजस्व कार्यालयों के लिए जिन कार्यों का उल्लेख इस नागरिक अधिकार पत्र में किया जा रहा है के विषय में जहां–जहां नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी वह राज्य सरकार/राजस्व मण्डल स्तर से जारी अधिसूचना में कर दिये गये हैं विवरण निम्न प्रकार हैः–

भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली 1957 के नियमों में राज्य सरकारकी अधिसूचना कमांक एफ–10(1)राज. /ग्रुप–6/94/पीटी/33 दिनांक 12–10–1999 द्वारा संशोधन निम्नानुसार किये गये हैं:–

क्र.सं.	*नियम*	*विषय*
1.	नियम–28 (खा)	राजस्व अभिलेखों की नकल
2.	नियम–141 (I)	नामान्तरण हेतु हस्तानान्तरण के पंजीकृत विलेखों संबंधी प्रकिया
3.	नियम–121 (III)	नामान्तरण के संबंध में
4.	नियम–34 (III)	सर्वेक्षण और सीमाकंन के सम्बन्ध में
5.	नियम–166 (II)	लिपिकीय भूल के मामले में

राजस्थान अभिधृति (काश्तकारी) राजस्व मंडल नियम–1955 में संशोधन
(राजस्व मण्डल की अधिसूचनादिनांक 5–10–99)

1.	नियम–18	आपसी सहमति से बंटवारा